

- (ii) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";

- (iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 जिसे सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 03/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, -

- in Schedule I –2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;
- in Schedule II –6%, after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“186A	8214	Pencil sharpeners”;

- in Schedule III –9%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words “[other than pencil sharpeners]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th day of June, 2017 and was last amended by notification No. 12/2022 –Central Tax (Rate) dated the 30th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 916(E), dated the 30th December, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 03/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 148(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) अनुसूची I- 5% में, क्रम संख्या 91क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
“गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो”;
- (ii) अनुसूची II - 12% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";

- (iii) अनुसूची III-18% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "पेंसिल शार्पनर्स के अलावा" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2022-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 जिसे सा.का.नि. 917 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।